आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
30/6/18	**न्यायालय आरबीट्रेटर–सह– अपर समाहर्त्ता, पटना** **विवाचन वाद सं०–43/2015** **सत्येन्द्र कुमार बनाम सरकार** **आदेश** प्रस्तुत वाद की कार्यवाई श्री सत्येन्द्र कुमार पिता– स्व0 रामबचन सिंह, साकिन–खुरैठा, थाना–विक्रम, जिला पटना द्वारा एन०एच०–98 अनिसाबाद– अरबल–हरिहरगंज परियोजनान्तर्गत L.A Case No-71/2013-14 द्वारा अर्जित मौजा–खुरैठा, थाना नं०–59, खाता सं०–191, खेसरा सं०–724, रकवा–0.08381 एकड़ के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु अर्जित भूमि की प्रकृति "कृषि" किये जाने तथा आवेदक द्वारा परियोजना अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाई का कभी भी विरोध नही किये जाने के वाबजूद सांत्वना राशि 60% के स्थान पर 30% भुगतान के बिन्दु पर दायर वाद के आलोक में प्रारंभ की गई। संबंधित पक्ष को सुनवाई के क्रम में उपस्थित होने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गई। वादी द्वारा दायर वाद आवेदन में कहा गया है कि उनकी व्यावयायिक/आवासीय भूमि जिसका मूल्य मो०–4,50,000/– (चार लाख पचास हजार) रू० प्रति डी0 से कम नहीं है को वगैर स्थल जॉच के ही सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा गलत तरीके से कृषि प्रकृति के रूप में निर्धारित कर मुआवजा भुगतान दिया गया है। परिवादी के परिवाद में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा उनकी भूमि के Potential Value को नज़र अंदाज कर दिया गया है। वाद ग्रस्त भूमि में भूमि अर्जन की कार्यवाई निम्न प्रकार से की गई है:– मौजा–खुरैठा, थाना नं०–59, रकवा–0.15762509 एकड़ 1. NH Act की धारा 3A– 1968(अ), दिनांक–29.08.2012 2. NH Act की धारा 3A का पेपर प्रकाशन–22.10.2012 3. NH Act की धारा 3D– 2595 (अ), दिनांक–23.08.2013 4. NH Act की धारा 3(D)का पेपर प्रकाशन–27.11.2013 5. NH Act की धारा 3(G) की स्वीकृति –29.11.2014 6. निर्धारित दर–40,00,000.00 प्रति एकड़ 7. 3जी प्रस्ताव की स्वीकृति–29.11.2012 8. संशोधित 3जी प्रस्ताव की स्वीकृति–04.11.2016 9. संशोधित दर –53,00,000.00 रूपये प्रति एकड़	

आदेश की क्रम सं० और तरीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

प्रस्तुत वाद में वादी सुनवाई के क्रम में दिनांक–17.11.17 से लगातार अनुपस्थित रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि वादी का वाद अन्तर्गत अब अभिरूचि नही रह गई है।

वादी द्वारा दावा किये गये दर से अधिक दर का निर्धारण नियमानुसार संशोधन के पश्चात् निर्धारित हो चुका है साथ ही सांत्वना 30%/60% के स्थान पर 100% निर्धारित की जा चुकी है। साथ ही वादी द्वारा खेसरा सं०–724 में उनके अंश का रकवा–0.08381 एकड़ का पूर्व निर्धारित दर पर मो०–7,44,434.00 तथा संशोधित दर पर शेष राशि मो०–2,99,464.00 रूपये मात्र प्राप्त कर चुके है।

मुआवजा भुगतान हेतु दर निर्धारण के क्रम में भूमि की प्रकृति का निर्धारण उसके वास्ताविक उपयोग के आधार पर करने का सरकारी निदेश है तथा वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह परिलक्षित हो की वादी की भूमि का उपयोग कृषि के रूप में न होकर अन्य कार्य में भू–अर्जन के पूर्व हो रहा था। साथ ही प्रस्तुत वाद में वादी सुनवाई के क्रम में लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि संशोधित दर पर मुआवजा प्राप्त कर लेने के पश्चात् अब वादी संतुष्ट है तथा अब उन्हे उनके द्वारा दायर वाद में कोई अभिरूचि नही रह गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

30/6/18

आरबीट्रेटर
–सह–
अपर समाहर्त्ता,
पटना।